# गुड गवर्नेंस के लिए अफसरों को लैपटॉप

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य सरकार ने 2016 तक सचिवालय के कामकाज को पेपरलेस बनाने और गुड गवर्नेंस की नींव को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

अब बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। इस श्रेणी में आने वाले अधिकारी 60 हजार रुपए मूल्य तक के लैपटॉप खरीद सकेंगे, जिसका बिल उन्हें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पास जमा करना होगा।

अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें इस लैपटॉप को लौटाने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने लैपटॉप की विशिष्टयां तय कर दी है जिसके तहत उन्हें इसे खरीदना है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव,प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। इससे करीब एक हजार पदाधिकारियों को फायदा होगा।

## लैपटॉप लेने के लिए तय शर्तें

- पदाधिकारी की आयु 1 अगस्त 2011 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बिप्रसे के पदाधिकारियों को डीओईएसीसी सोसाइटी से न्यूनतम बीसीसी (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर कोर्स) का प्रमाण-पत्र लेना होगा।
- डीओईएसीसी सोसाइटी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के आदेशानुसार देगा।
- लैपटॉप के लिए तय की गई विशिष्टयां- इंटेल कोर आई-5/एएमडी टूरिएन एक्स-2, 2.6 गीगाहर्ज, 1 जीबी वीआरएएम, 4 जीबी डीडीआर-3, 500 जीबी हार्ड डिस्क, विंडो-7, डीवीडी राइटर, वाई-फाई, ब्लूटूथ, इन बिल्ड वेबकैम, इंटरनेट के लिए डाटा कार्ड, लिथियम-आएन 6 सेल बैट्री, स्टैंडर्ड एंटी वायरस एक साल के लाइसेंस समेत अन्य उच्च टेक्नोलॉजी।

## ये होंगे फायदे

- पदाधिकारियों को टेक्निक फ्रेंडली बनाने के साथ कामकाज की रफ्तार भी बढ़ेगी।
- पदाधिकारियों को किसी भी टाइपिंग या अन्य जरूरी काम के लिए डाटा इंट्री ऑपरेटर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा।
- रिपोर्ट समेत तमाम जरूरी कागजात ऑनलाइन मिल सकेंगे।

## इस तरह होगा रुपए का भुगतान

● लैपटॉप खरीदने के बाद जिला एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अपने कार्यालय प्रधान से तमाम तय विशिष्टयां, आयु सीमा और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र लेना होगा। ● मिशन से यह राशि सीधे संबंधित कार्यालय प्रधान को जाएगी। ● सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय जहां बैंक नहीं है, संबंधित प्रमाण-पत्र कार्यालय से मिलेगा। इसके बाद पदाधिकारी के नाम से चेक कार्यालय प्रधान को दिया जाएगा। ● राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय प्रधान या विभाग के स्तर से मिशन को उपलब्ध कराया जाएगा। ● मंत्री के आप्त सचिव के तौर नियुक्त पदाधिकारियों के मामले में, जिस विभाग से वह संबंधित है, उसी विभाग में सारी प्रक्रिया पूरी होगी।